सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 08/प्रेसनोट/2021 दिसम्बर - 03 जनवरी 2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>थाना-मेहनगर</u>

<u>हत्या का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल व आटो के साथ गिरफ्तार</u>

दिनांक 31.12.2020 को श्रीमती कमलावती देवी पत्नी स्व0 बालचंद्र सरोज निवासिनी वार्ड नं0-8 जवाहरनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 31.12.2020 को मेरे पति स्व0 बालचंद्र सरोज अपने खेत में खाद डालने गए थे | खाद डालकर वापस आते समय अज्ञात लोगो द्वारा धारदार हथियार से हमला कर मेरे पति को घायल कर दिये | घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई | इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 222/20 धारा 304 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई | साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त 1. देवानन्द सोनकर पुत्र मिता सोनकर 2.अजय सोनकर पुत्र मिता सोनकर 3.विजयी राम पुत्र स्व0 बरसाती राम निवासीगण चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज 03.01.2021 प्रभारी निरीक्षक प्रशान्त कुमार मय हमराह नि0 अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराहियान द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त मु0अ0सं0 222/20 धारा 302/34 भादवि मे क्षेत्र मे मामूर था कि मुखबीर से प्राप्त सूचना कि वार्ड नं0 03 मे हुई हत्या के वांछित अभियुक्त आज सुबह हत्या में प्रयुक्त उसी टेम्पु से सुअर का मांस लेकर किसी नेता/अधिवक्ता से मिलने हेतु मेहनगर आ रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेहनगर मय हमराह को साथ लेकर गाड़ा बन्दी करके पल्हना रोड पर जिगनी बाजार मे तिराहे पर पल्हना की तरफ से आने वाले टेम्पो को रोकरकर उसमे बैठे तीन व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. देवानन्द सोनकर पुत्र मिता सोनकर निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 2.अजय सोनकर पुत्र मिता सोनकर निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 3.विजयी राम पुत्र स्व0 बरसाती राम निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताये। अभियुक्त देवानन्द के निशानदेही पर घटना के पास सरपत के झुड़ से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल चापड़ बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय़ किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0 222/20 धारा 302/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.देवानन्द सोनकर पुत्र मिता सोनकर निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

2.अजय सोनकर पुत्र मिता सोनकर निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

3.विजयी राम पुत्र स्व0 बरसाती राम निवासी चौकी नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-हत्या की घटना मे प्रयुक्त

1. एक अदद आलाकत्ल चापड़। 2. एक अदद टेम्पो UP50 BT6722।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक प्रशान्त कुमार

2.निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र

3. का0 इन्दपाल यादव

4. का0 राहुल यादव

5. का0 मुकेश यादव

6. म0का0 शालिनी चौबे